न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–296 सन् 2012

विश्वजीत कुमार वगैरह.....वादीगण।

बनाम

मु0 आरती देवी वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 10.07.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 24.08.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 02 समरजीत सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.07.2021 को अपनी विधवा पत्नी मु0 मीरा देवी वो एकमात्र पेसर सोनु कुमार को छोड़कर हो गई है। अर्जीदावी से प्रतिवादी सं0 02 का नाम कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 02 समरजीत सिंह का नाम अर्जीदावी से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान किया जाए।
वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 02 समरजीत सिंह थे जिनकी मृत्यु दिनांक 21.07.2021 को अपनी विधवा पत्नी मीरा देवी वो एकमात्र पेसर सोनू कुमार को छोड़कर हो गई है। वादी प्रतिवादी सं0 02 समरजीत सिंह का नाम अर्जीदावी से कलमजद करने तथा उनके स्थान पर उनके कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित होने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किए है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। वादी की ओर से उक्त आवेदन शपथ पत्र के साथ दाखिल किया गया है।अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 24.08.2022 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक..... बहस हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।